



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा जनपद में तैनात 05 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर सभी निरीक्षकों के कन्धे पर स्टार लगाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की दी गयी शुभकामनायें।

पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना, निमित्त मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांकित 25.07.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश उ०नि० एवं निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार ज्येष्ठता के आधार प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक महोदय उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नत किया गया है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 27.07.2022 को जनपद महोबा में तैनात 05 उप निरीक्षकों की पदोन्नति निरीक्षक के पद पर होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्टार लगाकर पदोन्नत हुये निरीक्षकों के कन्धे में स्टार लगाकर अलंकृत किया गया तथा सभी को बधाई देते हुये मिठाई खिलाकर उनके उज्ज्वल/निरोगी भविष्य की कामना की गयी।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में अभियान के तहत थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री दिनेश तिवारी द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

जिसमें उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश द्वारा वारण्टी अभियुक्त केश न0 1734/20 मु0अ0स0 675/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त 1. रामऔतार पुत्र नाथूराम यादव उम्र 32 वर्ष ग्राम तिन्दौली से व उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ राम द्वारा वारण्टी अभियुक्त केश न0 2487/20 मु0अ0स0 95/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार राजपूत पुत्र सगुन राजपूत उम्र करीब 31 वर्ष ग्राम पवा से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
2. उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ राम
3. का0 वीरेन्द्र कुमार
4. का0 सूरज सोनकर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामऔतार पुत्र नाथूराम यादव उम्र 32 वर्ष करीब निवासी ग्राम तिन्दौली थाना श्रीनगर महोबा
2. राजकुमार राजपूत पुत्र सगुन राजपूत उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम पवा थाना श्रीनगर महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 27.07.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित टीम उ0नि0 दिनेशचन्द्र द्वारा मु.अ.स. 119/2022 धारा 376(डी)/511/323/504/506 भादवि व 6/18 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. भूपेन्द्र पुत्र घासीराम कुशवाहा उम्र 27 वर्ष 2. राजा उर्फ राजाराम पुत्र मदन कुशवाहा उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा,सम्बन्धित को हिरासत पुलिस मे लिया गया, वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिसटीम-

1. उ0नि0 दिनेशचन्द्र थाना पनवाड़ी महोबा
2. का0 सुनील कुमार थाना पनवाड़ी महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भूपेन्द्र पुत्र घासीराम कुशवाहा उम्र 27 वर्ष
2. राजा उर्फ राजाराम पुत्र मदन कुशवाहा उम्र 29 वर्ष निवासीगण ग्राम नकरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तलाश वाँछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान एक नफर वारण्टी अभियुक्त हरीसिंह पुत्र दयाराम उम्र 48 वर्ष निवासी आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित केस नं0- 603084/2012 अपराध संख्या 1108/12 धारा 380/411 भादवि मय धारा 82 सीआरपीसी नोटिस गैरजमानतीय वारण्ट माननीय न्यायालय जे0एम0 महोबा द्वारा जारी को आलमपुरा से दिनांक 27.07.2022 समय 13.30 बजे गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरीसिंह पुत्र दयाराम उम्र 48 वर्ष निवासी आलमपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सनय कुमार प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. हे0कां0 सुखलाल
3. हे0कां0 दिनेश सिंह





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में अभियान के तहत थाना प्रभारी वरि.उ.नि. श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

जिसमें उ0नि0 श्री राजकुमार यादव द्वारा वारंटी देशराज पुत्र नवलकिशोर उम्र करीब 42 वर्ष सम्बन्धित केस न. 461/13 अ.स. 366/13 ग्राम बमरारा से व उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा वारंटी हरगोविन्द पुत्र दलपत अहिरवार उम्र करीब 46 वर्ष सम्बन्धित केस न. 235/14 अ.स. 244/14 ग्राम सूपा हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार यादव थाना चरखारी जनपद महोबा
2. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय थाना चरखारी जनपद महोबा
3. का0 यशपाल 4. का0 अश्वनी यादव थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देशराज पुत्र नवलकिशोर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा
2. हरगोविन्द पुत्र दलपत अहिरवार उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम सालट थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आगामी
त्यौहार, श्रावण मास व कांवड यात्रा के दृष्टिगत
जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-
जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।**

बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 112 ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 27.07.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहार, श्रावण मास व कांवड यात्रा के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल,



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस